सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

30 जुलाई, 2021

अतएव, उक्त पथ के हस्तांतरण के उपरांत उक्त विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ । माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-30 : श्री सुधाकर सिंह, स0वि0स0

श्री सुधाकर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत माँ मुंडेश्वरी धाम जो पर्यटक स्थल है, प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, को आरा से मुंडेश्वरी धाम तक रेलमार्ग बनाने के लिए रेल मंत्रालय, केंद्र सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मंत्री, पर्यटन विभाग की तरफ से रेल मंत्रालय, केंद्र सरकार को इस आशय की अनुशंसा भेज दी जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लिया जाय ।

श्री सुधाकर सिंह : महोदय, यह स्वीकृत हो ही गया है तो वापस लेने की क्या आवश्यकता है । स्वीकृत कर ही दिए हैं ।

उपाध्यक्ष : संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री सुधाकर सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 33 : श्री राम विशुन सिंह, स0वि0स0

श्री राम विशुन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखण्ड में ग्राम भटौली एवं ग्राम दावा के बीच छेर नदी में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ बसावट भटौली एवं दूसरी तरफ ग्राम दावा अवस्थित है । भटौली बसावट को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित पथ टी-01 से भटौली पथ जिसकी लम्बाई 3.172 किलोमीटर है से एकल सम्पर्कता प्रदत्त है एवं दावा बसावट को

एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत एन0एच0-30, दुलौर मोड़ से सोहन टोला भाया रतनदण्डी जिसकी लम्बाई 5.30 किलोमीटर है, एकल सम्पर्कता प्रदत्त है । अभिस्तावित पुल स्थल भटौली एवं दावा बसावट के बीच में है । भटौली से दावा के बीच कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है संकल्प वापिस लेने की कृपा करें ।

श्री राम विशुन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से आग्रह है कि इस पुल के बनने से दस गांव के लोग बिहियां बाजार जायेंगे, इसलिए अनुरोध है कि इस पुल को बनवाया जाय ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं विचाराधीन नहीं है, इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राम विशुन सिंह : वापस तो हम ले ही लिये हैं, लेकिन विचार करना होगा कि पुल से.....

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 34 : श्री अली अशरफ सिद्दिकी, स0वि0स0</u>

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रादेशिक लोक सेवा आयोगों में लागू Standard evaluation policy के तहत Scaling की व्यवस्था को लागू करे । "

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 1918 में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, को....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प पढ़िये ।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : महोदय, संकल्प पढ़ रहे हैं, Standard evaluation policy लागू करने का आदेश दिया गया था परन्तु वह आदेश रद्दी की टोकरी में चला गया । मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं बैच की परीक्षा कम से कम......

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संकल्प जो आप लिखकर दिये हैं, वही पढ़िये । दूसरी चीज आप पढ़ रहे हैं ।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : महोदय, वही लिखकर दिया है, वही पढ़ रहे हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : उपाध्यक्ष जी, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना में वर्तमान में Scaling की व्यवस्था लागू नहीं है । संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रादेशिक लोक